न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 99 / 2022

श्री बृजेश पुत्र राधेश्याम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी सुनैठ तहसील हिण्डौन जिला करौली हाल निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

——————

आदेश दिनांक 30.12.2022

अपीलार्थी श्री बृजेश पुत्र राधेश्याम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी सुनैठ तहसील हिण्डौन जिला करौली हाल निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 937 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / 12194 दिनांक 21.12.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि आप द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट से सम्बन्धित होने के कारण आपका प्रार्थना पत्र राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित किया गया है, जबाब के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र कमांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 12 / 2022 / 7262 जो कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रट द्वारा आपको भेजा गया के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाही गई सूचना के सम्बन्ध में वांछित शुल्क जमा कराये जाने हेतु आप को लिखा गया है। अतः आप से अपेक्षा की जाती है कि आप

''''''''2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील / आरटीआई / 99 / 2022
बृजेश बनाम लोक सूचना अधिकारी

सूचना से सम्बन्धित निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करलें। यानि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर